सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (पिम) प्रश्नोत्तरी

1. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (पिम) क्या है?

सिंचाई प्रबन्धन के प्रत्येक कार्य जैसे–नहरों की मरम्मत, जल वितरण, जल प्रबन्धन, सींच अंकन आदि में सिंचाई विभाग एवं कृषकों द्वारा आपसी विचार–विमर्श एवं सूचनाओं/ज्ञान के आदान–प्रदान द्वारा संयुक्त रूप से सकारात्मक निर्णय लेने और निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने की प्रक्रिया को सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कहते हैं।

2. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन(पिम) क्या आवश्यकता है?

निम्नलिखित कारणों से सहभागी सिंचाई प्रबन्धन को अपनाने की आवश्यकता है–

- सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कुलाबा स्तर तक ही नहरों का प्रबन्धन किया जाता है, जबकि कुलाबा के बाद पानी के वितरण के प्रबन्धन की व्यवस्था किसानों द्वारा की जाती है। पूरी सिंचाई व्यवस्था का उद्देश्य नहर कमाण्ड में अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने की है। यह उत्पादन अधिकतम तभी हो सकता है जब कुलाबा स्तर के ऊपर सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे प्रबन्धन तथा कुलाबा स्तर के नीचे किसानों द्वारा किए जा रहे प्रबन्धन में विधिवत् सामंजस्य की व्यवस्था हो। इसी के दृष्टिगत सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की व्यवस्था आवश्यक है।
- नहरों की डिजाइन के समय उसमें पानी की उपलब्धता का निर्धारण नहर कमाण्ड क्षेत्र में अपनाई जा रही सामान्य फसल पद्धति के आधार पर किया जाता है। यह फसल पद्धति डिजाइन के समय निश्चित होती है। समय के साथ–साथ कमाण्ड क्षेत्र में फसल पद्धति में व्यापक परिवर्तन हो जाता है जबकि पानी की मात्रा एक निश्चित फसल पद्धति के लिए ही उपलब्ध रहती है, जिसके कारण सिंचाई प्रबन्धन में विभाग एवं किसान दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहर में सीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने तथा कमाण्ड में वास्तविक जल की मांग में अन्तर के प्रबन्धन को किसानों के सहयोग तथा उनके साथ विचार–विमर्श करके ही बेहतर बनाया जा सकता है।
- पारम्परिक रूप से सिंचाई विभाग का कार्य सिंचाई प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन से है, परन्तु समय के साथ विभाग को अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का निष्पादन भी करना पड़ता है। जिस कारण सिंचाई प्रबन्धन हेतु अपेक्षाकृत कम समय उपलब्ध हो पाता

है। इसके अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन हेतु बहुमूल्य स्थानीय जानकारी का भी आभाव रहता है। इस व्यवस्था में किसान को सम्मिलित करने से सिंचाई प्रबन्धन हेतु अधिक मानव संसाधन प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के पास वर्षों से उपलब्ध स्थानीय पारम्परिक ज्ञान/जानकारी भी आसानी से उपलब्ध होगी। परिणामस्वरूप सिंचाई प्रबन्धन का कार्य सरल एवं प्रभावी हो सकेगा।

3. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन(पिम) के उद्देश्य क्या हैं?

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- किसानों में सिचाई व्यवस्था को लेकर स्वामित्व का बोध कराना;
- पानी का किफायती उपयोग करना तथा सबके हिस्से का पानी उपलब्ध कराना;
- पानी का न्यूनतम उपयोग कर अधिकतम कृषि आय प्राप्त करना;
- सिंचाई व्यवस्था का बेहतर संचालन एवं रख–रखाव किया जाना;
- सिंचाई विभाग एवं किसानों के बीच एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया जाना;
- सतही एवं भूगर्भ जल के सहयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना।

4. सहभागी सिंचाई प्रबन्धन(पिम) व्यवस्था के क्या लाभ हैं?

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हैं–

- **प्रबन्धन में स्थानीय ज्ञान का समावेश :–**पिम के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्धन में जल उपभोक्ता समितियों/कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के कारण स्थानीय परिस्थितियों एवं स्थानीय आवश्यकता एवं ज्ञान का समावेश प्रबन्धन में किया जा सकेगा, जिससे सिंचाई प्रबन्धन और अधिक प्रभावी होगा। परिणामस्वरूप इसका लाभ कृषकों एवं सिंचाई विभाग दोनों को प्राप्त होगा।
- **नहर मरम्मत आदि हेतु धन की सुलभ उपलब्धता :–**नहरों की मरम्मत एवं अनुरक्षण आदि हेतु आवश्यक धन की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। परिणामस्वरूप नहरों की स्थिति अच्छी नही हो पा रही है। धन की कमी के कारण विभाग द्वारा उपलब्ध धन का उपयोग अतिआवश्यक कार्यों पर ही किया जाता है। जिसके कारण विभाग द्वारा समस्त नहरों की अनवरत मरम्मत एवं अनुरक्षण नहीं हो पाता है। पिम के अन्तर्गत प्रत्येक नहर पर जल उपभोक्ता समितियाँ होंगी, जिनको केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत रू0 1000

प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के नाम धनराशि बैंक में फिक्स कर दी जाएगी जिसके वार्षिक ब्याज (लगभग रू0 80–100 प्रति हेक्टेयर) से जल उपभोक्ता समितियों को प्राप्त हो सकेगा। यह धनराशि बैंक से प्राप्त होने के कारण एक निश्चित दिवस पर एक निश्चित धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जल शुल्क की 40 प्रतिशत धनराशि भी बजट के माध्यम से प्राप्त होगी। यह धनराशि भी निश्चित होगी तथा प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति को प्राप्त होगी और इसकी सूचना समय से पूर्व प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक नहर हेतु धन की सुलभ एवं सुनिश्चत उपलब्धता के कारण प्रत्येक नहर को अच्छी स्थिति में रखा जा सकेगा।

- **नहर के अनुरक्षण व्यय में कमी :–** वर्तमान में सिंचाई विभाग को नहरों के अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने अथवा धन उपलब्धता की अनिश्चितता के कारण रख–रखाव साल दर साल टलता रहता है परिणामस्वरुप रख–रखाव अधिक खर्चीला होता जाता है क्योकि समय के साथ सिल्ट आदि जमने की दर बढती जाती है। यदि अनुरक्षण हेतु धनराशि अनवरत् प्राप्त होती रहे, तो नहर का अनुरक्षण निरन्तर (प्रत्येक सीजन/वर्ष) किए जाने से अनुरक्षण व्यय में कमी आयेगी। पिम के अन्तर्गत प्रत्येक जल उपभोक्ता समितियों को निश्चित धनराशि, निश्चित समय पर प्राप्त/सूचित हो जाने के कारण नहरों का अनुरक्षण निरन्तर किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप अनुरक्षण व्यय में कमी आएगी।
- **पानी की उपलब्धता की सुलभ सूचना :–**पिम के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर जल उपभोक्ता समितियाँ होने के कारण नहरों में पानी की उपलब्धता होने की सूचना, जो रोस्टर/रेगुलेशन आर्डर के माध्यम से निर्धारित की जाती है, को जल उपभोक्ता समितियों के माध्यम से सामान्य कृषकों में आसानी से पहुंचाई जा सकती है।
- **सृजित सिंचन क्षमता के सापेक्ष सींच में वृद्धि :–**वर्तमान में सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की सृजित सिंचन क्षमता के सापेक्ष वास्तविक सींच अत्यन्त कम है। सृजित सिंचन क्षमता को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि फील्ड गूलों का निर्माण/मरम्मत हो, जल का उपयोग फसल की आवश्यकता के अनुसार ही हो, जल की बर्बादी पर रोंक लगे तथा कम जल प्राप्त करने वाली/कम जल लेने वाली नकदी फसल को बढ़ावा मिले। इसके अतिरिक्त सींच वृद्धि होने से किसी प्रकार का प्रोत्साहन भी प्राप्त हो। यह समस्त कार्य तभी हो सकते हैं जब कृषकों द्वारा इन कार्यों में रूचि ली जाए। कार्यों में रूचि तभी ली जाएगी

जब कृषकों के मध्य सिंचाई तंत्र के प्रति अपनत्व की भावना विकसित हो। पिम के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्धन हेतु सिंचाई तंत्र को जल उपभोक्ता समितियों को हस्तान्तरित किया जाएगा, जिससे उनके मध्य तंत्र के प्रति अपनत्व की भावना विकसित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जल उपभोक्ता समितियों को जमाबन्दी में निर्धारित जल शुल्क, जो कृषक की तरफ से राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा, का 40 प्रतिशत अंश भी प्राप्त होगा जिसका निर्धारण सींच के आधार पर ही होगा। अर्थात् अधिक सींच होने से समिति को अधिक धनराशि प्राप्त होगी। जिस कारण समितियाँ सींच बढ़ाने हेतु उत्सुक एवं प्रयत्नशील रहेंगी।

- **जल का किफायती उपयोगः–** नहर कमाण्ड के अन्तर्गत समस्त कृषकों की प्रथम आवश्यकता सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना है। जल उपभोक्ता समितियों का गठन कमाण्ड के कृषकों के माध्यम से किया जाता है। अतः प्रबन्धन समिति का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेगा कि अधिक से अधिक कृषको को जल प्राप्त हो, जिससे उसका पद सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक सींच बढने से समितियों को जल शुल्क मद में अधिक धनराशि प्राप्त होगी, जो उन्हें जल के किफायती उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- **फसल प्रबन्धन में सुलभता :–**फसलों का प्रबन्धन जल की उपलब्धता एवं मृदा की आवश्यकता के अनुसार तभी किया जा सकता है जब कमाण्ड क्षेत्र के कृषक आपस में इकट्ठे होकर इस पर विचार–विमर्श एवं चर्चा करें। पिम के अन्तर्गत जल उपभोक्ता समितियाँ इस कार्य हेतु एक मंच का कार्य करेंगी। इस मंच पर फसल प्रबन्धन को विशेषज्ञों द्वारा प्रसारित भी किया जा सकेगा। उदाहरणस्वरूप महाराष्ट्र के बागाढ़ परियोजना में जल उपभोक्ता समितियों फसल प्रबन्धन इसी सिद्धान्त के अनुरुप किया गया, जिससे पूर्व में कृषक जीविकोपार्जन हेतु कृषि करते थे वहाँ अब कृषि उत्पादन का निर्यात करते हैं।
- **मंहगे कृषि उपकरणों की कृषकों के मध्य उपलब्धताः–**कृषि से सम्बन्धित मंहगे उपकरण जैस–ट्रैक्टर, सीड ड्रिल,लेजर लेवलर आदि का उपयोग सामान्य कृषक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जोत छोटी होने के कारण इनका उपयोग लाभप्रद नहीं होता है। कमाण्ड में जल उपभोक्ता समितियों के गठित हो जाने के पश्चात् जल उपभोक्ता समितियों द्वारा यह

मंहगे कृषि उपकरण आपसी सहयोग से एकत्रित धन से क्रय किए जा सकेंगे, जिसका उपयोग छोटे कृषकों द्वारा कम व्यय में आसानी से किया जा सकेगा।

- **कृषकों एवं विभाग के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि :–**पिम के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्धन जल उपभोक्ता समितियों/कृषकों एवं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने के कारण प्रबन्धन की परेशानी एवं लाभों से दोनों पक्ष एक–दूसरे से परिचित होंगे। परिणामस्वरूप एक–दूसरे में सहयोगी की भावना विकसित होगी एवं एक–दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी। उत्तर प्रदेश के जिरगों बांध पर बनी अनोपरारिक समिति के कार्य कलापों के अध्ययन से भी यह बात सिद्ध होती है।

5. अधिनियम कब से लागू है?

उत्तर प्रदेश वॉटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना के प्रथम चरण से आच्छादित शारदा सहायक संगठन के 07 खण्डों (शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़, शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर, शारदा सहायक खण्ड–41, अमेठी, शारदा सहायक खण्ड–45, रायबरेली, शारदा सहायक खण्ड–49, सुल्तानपुर, शारदा सहायक खण्ड–51, प्रतापगढ़ एवं सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर) में दिनांक 05 मार्च, 2010 से तथा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2011 से लागू है।

6. जल उपभोक्ता समिति बनाने से पानी की समस्या कैसे कम होगी?

सामान्यतः हेड रीच के कृषकों द्वारा अपनी आवश्यकता/हकदारी से ज्यादा पानी लेने तथा जल की बर्बादी के कारण नहरों में पानी नहीं आता है। कृषकों का कोई औपचारिक मंच नहीं होने के कारण वे एक–दूसरे की समस्याओं से सम्बन्धित विचार–विमर्श अथवा समाधान नहीं कर पाते हैं।

जल उपभोक्ता समिति बन जाने से कृषकों का अपनी समस्याओं पर विचार–विमर्श करने तथा उसका समाधान मिलजुल कर करने का एक मान्यता प्राप्त मंच प्राप्त हो जाएगा। अल्पिका एवं कुलाबा समिति के सदस्य आपस में मिलकर अल्पिका कमाण्ड में पानी आने एवं उसकी बर्बादी को रोकने का उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्पिका एवं रजबहा समिति के सदस्य रजबहा समिति के स्तर पर अल्पिकाओं में पानी की उपलब्धता एवं विभिन्न अल्पिकाओं एवं रजबहों से बर्बाद होने वाले जल को बचाने हेतु उपाय कर सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप जिन अल्पिकाओं में पानी नहीं आता है, उनमें पानी आ सकेगा।

7. जल उपभोक्ता समिति बनाने में हेड के किसान तैयार नहीं होंगे तो समिति कैसे बनेगी?

एक नहर के पूरे कमाण्ड हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। यह गठन मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन के माध्यम से नहर के सभी भागों के कृषकों द्वारा किया जाएगा। अतः कुछ किसानों के निर्वाचन में भाग न लेने से सम्बन्धित नहर की समिति का गठन बाधित नहीं होगा।

8. जब गांव वाले नहर चलाएंगे तो विभाग क्या करेगा?

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चार प्रकार की नहरें आती हैं। सबसे निचले स्तर पर अल्पिका, उसके ऊपर रजबहा, उसके ऊपर शाखा तथा सबसे ऊपर मुख्य नहर आती है। जल उपभोक्ता समिति द्वारा निचले स्तर की दो नहरों (अल्पिका एवं रजबहा) का प्रबन्धन किया जाएगा तथा सिंचाई विभाग द्वारा उच्च स्तर की दो नहरों (शाखा एवं मुख्य नहर) का प्रबन्धन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल उपभोक्ता समिति को निचले स्तर की नहरों को चलाने में तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य प्रबन्धन सम्बन्धी मार्ग निर्देशन एवं सहायता सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। सिंचाई की नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व की भाँति किया जाएगा।

9. सिंचाई विभाग अपना दायित्व किसानों पर क्यों डालना चाहता है?

सिंचाई व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त कार्य किसानों के लिए करता है। क्योंकि सिंचाई व्यवस्था की लाभ–हानि अन्ततः कृषकों को ही होती है। अतः व्यवस्था को किसानों की आवश्यकता के अनुसार संचालन करने तथा किसानों के पास सदियों से संचित स्थानीय मेधा/जानकारी का उपयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि विभाग और किसान दोनों मिलकर संयुक्त रूप से सिंचाई प्रबन्धन के कार्य करें। इस प्रकार विभाग अपना दायित्व किसानों पर डाल नहीं रहा है बल्कि दायित्व के निर्वहन में किसानों को सम्मिलित कर पारदर्शिता के साथ किसानों की आवश्यकतानुसार कार्य करना चाहता है।

10. यदि समिति अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए अधिनियम का दुरूपयोग करे तो इसे कैसे रोका जाएगा?

सिंचाई विभाग के अधिकारी को समिति के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनने एवं समुचित आदेश पारित करने हेतु अपीलीय अधिकारी निर्धारित किया गया है। इस कारण अधिनियम के दुरूपयोग से बचाव होगा।

11. यदि समिति के पदाधिकारी दबंगों द्वारा डमी के रूप में चुनवा दिया जाए तो समिति का क्या फायदा?

नहर के टेल भाग से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या प्रबन्धन समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 45 प्रतिशत है। पदाधिकारी प्रबन्धन समिति के सदस्यों में ही चुना

जाएगा। सदस्यों की संख्या टेल भाग से अधिक होने के कारण इसकी सम्भावना अधिक रहेगी कि अध्यक्ष टेल भाग से होगा। प्रारम्भ में डमी के रूप में चयनित पदाधिकारी से समिति को ज्यादा फायदा नहीं होगा परन्तु अपने अधिकारों का ज्ञान होने पर समय के साथ डमी व्यक्ति भी क्रियाशील हो जाता है।

12. यदि समिति ही पैसे का गबन कर ले तो क्या होगा?

समिति द्वारा वित्तीय अनियमितता किए जाने पर उसे भंग करने की कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जाएगी। समिति के विरूद्ध आई0पी0सी0 की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

13. यदि ऊपर वाली समिति पानी न छोड़े तो नीचे वाली समिति क्या कर पाएगी?

प्रत्येक नहर के शीर्ष पर जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। यदि किसी ऊपरी समिति द्वारा निचली समिति को पानी नहीं छोड़ा जाता है तो सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा पानी छुड़वाया जाएगा।

14. जब सींच मॉफ है तो सिंचाई लिखने की क्या आवश्यकता है?

सींच माफ का तात्पर्य जमाबन्दी में निर्धारित शुल्क को कृषकों द्वारा जमा नहीं किया जाना है। बल्कि यह शुल्क सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों की तरफ से जमा किया जाएगा। जमाबंदी में निर्धारित जल शुल्क के आधार पर समिति हेतु जल शुल्क के अंश का निर्धारण किया जाएगा, जो बजट के रूप में समिति को प्राप्त होगा। सींच नहीं लिखने पर यह धनराशि समिति को प्राप्त नहीं हो पाएगी। अतः सींच लिखना अति आवश्यक है।

15. जिन समितियों में पढ़े–लिखे किसान नहीं होंगे उनका कार्य कैसे होगा?

समिति के कार्यों के संचालन हेतु अवर अभियन्ता, लेखाकार एवं अन्य कार्मिकों की नियुक्ति समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग के अधिकारी/कर्मचारी समिति को यथाआवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि नहर में पानी चलने के दौरान खांदी या टूट–फूट हो जाए और समिति उस पर कार्य न कराए तो क्या होगा?

नहर में पानी चलने के दौरान खांदी या टूट–फूट को यदि समिति द्वारा ठीक नहीं कराया जाता है तो कार्य सिंचाई विभाग द्वारा करा लिया जाएगा तथा सम्बन्धित समिति को कार्य न कराने हेतु नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस का संतोषजनक जबाब अधिकतम 15 दिनों में प्राप्त न होने पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा नहर हस्तानान्तरण का अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान समिति से कराया जाएगा तथा अवशेष भुगतान सामान्य सभा के अनुमोदन के पश्चात् समिति से कराया

जाएगा। समिति द्वारा भुगतान में अकारण बाधा डालने को अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए इसकी धारा–33 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

17. यदि समिति नहर अनुरक्षण आदि कार्य कराने में अपने को सक्षम न पाए तो कार्य कैसे होगा?

यदि समिति किसी कार्य को कराने में अपने आपको अक्षम पाती है तो उसकी प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर कार्य विभाग द्वारा कराने का अनुरोध किया जाएगा। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कार्य पिम मैनुअल के प्रस्तर–90 में किए गऐ प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाएगा।

18. यदि समिति जानू–बूझ कर कार्य न करे तो क्या कार्यवाही होगी?

यदि समिति जान–बूझकर कार्य नहीं करती है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। समिति द्वारा इस प्रकार जारी 03 नोटिस के बाद भी कार्य न कराने की स्थिति में समिति के साथ किए गए नहर हस्तानान्तरण के अनुबन्ध को निरस्त अथवा निलम्बित किया जा सकता है और कार्य किसी अन्य समिति से अथवा विभाग स्वयं समिति की तरफ से करा सकता है।

19. जल उपभोक्ता समिति की संरचना क्या है?

प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति की एक सामान्य सभा होगी तथा एक प्रबन्धन समिति होगी। समितिवार संरचना निम्नवत् है–

क्र. सं.	समिति का नाम	प्रबन्धन समिति / सामान्य सभा	सदस्य
1.	कुलाबा समिति	सामान्य सभा	कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू–स्वामी / असामी / उप–असामी / अपनी भूमि बंधक रखने वाला कब्जेदार / पट्टेदार (टेन्योर होल्डर) / अनुज्ञापी (लाइसेंसी) / भू–घृतिधारक (लीजी) और वह व्यक्ति जो सिंचाई का लाभग्राही हो
		प्रबन्धन समिति	• निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कुलाबा कमाण्ड के अधिकतम छः कुलाबा सब कमाण्डों से चुने हुए समस्त सदस्य। प्रत्येक सब कमाण्ड से सदस्य का निर्वाचन कुलाबा समिति की सामान्य सभा के उन सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कुलाबा सब कमाण्ड के अन्तर्गत आते हैं; • आरक्षित श्रेणी [1] तथा ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य परन्तु जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष का भू–धारक होना अनिवार्य होगा।
2.	अल्पिका / फेडरेटेड अल्पिका	सामान्य सभा	अल्पिका से सम्बद्ध समस्त कुलाबों / रजबहा अथवा शाखा से निकले सीधे कुलाबों के निर्धारित संख्या के समूह में आने वाले समस्त कुलाबों पर गठित कुलाबा समितियों की प्रबन्धन समितियों

[1] (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) महिला

	समिति		के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 14 सदस्य • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा अल्पिका की टेल पर स्थित ग्राम पंचायत का सहयोजित सदस्य
3.	रजबहा समिति	सामान्य सभा	• रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं पर गठित अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य। • रजबहा से निकले सीधे कुलाबों के समूह पर गठित फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 14 सदस्य • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत का सहयोजित सदस्य
4.	शाखा समिति	सामान्य सभा	• शाखा से सम्बद्ध रजबहों पर गठित रजबहा समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य • शाखा से निकली अल्पिकाओं के समूह पर गठित फेडरेटेड रजबहा समितियों की प्रबन्धन समिति के समस्त सदस्य। • शाखा से निकले सीधे कुलाबों के समूह पर गठित फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबन्धन समितियों के समस्त सदस्य।
		प्रबन्धन समिति	• निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सभा द्वारा चुने हुए न्यूनतम 07 तथा अधिकतम 08 सदस्य। • आरक्षित श्रेणी के यथा आवश्यक सहयोजित (Co-opted) सदस्य तथा शाखा की टेल पर स्थित जिला पंचायत का सहयोजित सदस्य
5.	परियोजना समिति	सामान्य सभा	मुख्य नहर से सम्बद्ध शाखा समितियों के समस्त अध्यक्ष।
		प्रबन्धन समिति	परियोजना समिति के अध्यक्ष एवं सचिव।

20. जल उपभोक्ता समितियों का गठन कैसे होगा?

जल उपभोक्ता समितियों का गठन निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अन्तर्गत कुलाबा समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान तथा अल्पिका एवं अन्य समितियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा–

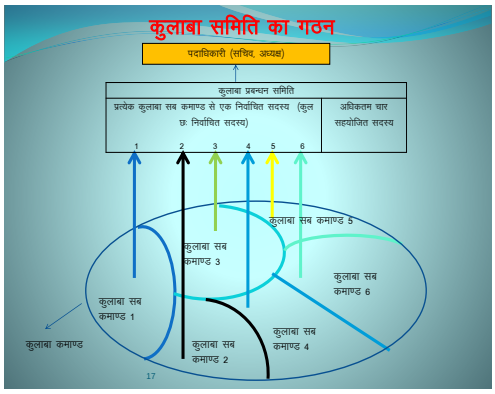

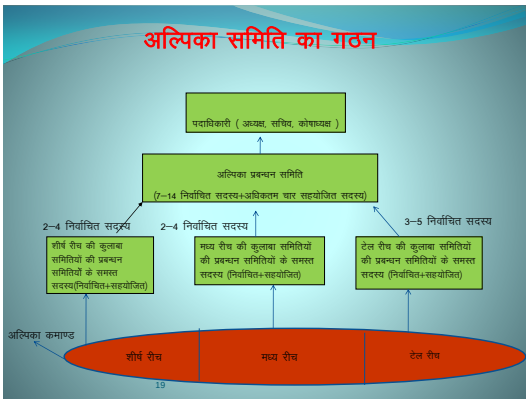

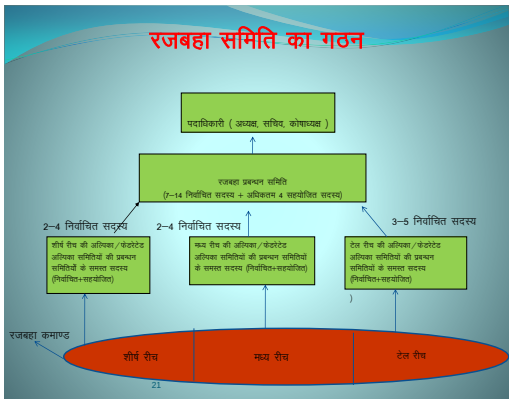

21. समितियों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल क्या होगा?

जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति का कार्यलय 06 वर्ष का होगा। प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष)का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

22. समिति क्या कार्य करेगी?

समिति द्वारा जल वितरण, जल प्रबन्धन, नहरों के अनुरक्षण (सिल्ट सफाई, टूट–फूॅट की मरम्मत् आदि), समस्त सिविल कार्य, सिंचाई लेखन, फसल योजना बनाना, नहर अपराध पर नियंत्रण, अनधिकृत सिंचाई तथा जल बर्बादी पर नियन्त्रण इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

23. समिति का पंचायत से क्या सम्बन्ध होगा?

प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति को पंचायतों से समन्वय स्थापित करने के दृष्टिगत जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति में पंचायतों के सदस्य को नामित/सहयोजित किए जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति में पदेन सदस्य नामित किया जाएगा। इसी प्रकार अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति में अल्पिका की टेल पर स्थित ग्राम पंचायत के सदस्य एवं रजबहा के टेल पर स्थित क्षेत्र पंचायत के सदस्य को रजबहा समिति की प्रबन्धन समिति में

तथा शाखा की टेल पर स्थित जिला पंचायत के सदस्य को शाखा की प्रबन्धन समिति में सहयोजित किया जाएगा।

24. समिति का निर्वाचन कौन कराएगा?

समिति का निर्वाचन जिलाधिकारी की सहायता से सिंचाई विभाग द्वारा करवाया जाएगा।

25. निर्वाचन में कौन से लोग मतदाता हो सकते हैं?

कामण्ड क्षेत्र के भू–धारक, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हों तथा दिवालिया न हो एवं कुलाबे से जल प्राप्त करने के पात्र हों, मतदाता हो सकते हैं। भू–धारक का आशय भू–स्वामी अथवा अन्य किसी विधि के अन्तर्गत भूमि पर खेती करने हेतु अधिकृत किसान।

26. समिति सिंचाई प्रबन्धन के कार्य हेतु कब अधिकृत होगी?

समिति के गठन के पश्चात् सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई प्रबन्धन हस्तानान्तरण का सम्बन्धित समिति के साथ अनुबन्ध किया जाएगा। अनुबन्ध हो जाने के पश्चात् समितियाँ कार्य हेतु अधिकृत हो जाएंगी।

27. सक्षम नहर अधिकारी क्या है?

प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति को मार्गदर्शन एवं सहयोग देने तथा निर्देशन एवं नियन्त्रण हेतु सिंचाई विभाग का एक अधिकारी निर्धारित है, जिसे सक्षम नहर अधिकारी कहा जाता है। प्रत्येक समिति के सापेक्ष निर्धारित सक्षम नहर अधिकारी निम्नानुसार होंगे–

क्र0सं0	समिति का नाम	सक्षम नहर अधिकारी
1.	कुलाबा समिति	अवर अभियन्ता
2.	अल्पिका समिति	सहायक अभियन्ता
3.	रजबहा समिति	अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता
4.	शाखा समिति	अधीक्षण /मुख्य अभियन्ता
5.	परियोजना समिति	मुख्य अभियन्ता

28. समिति के सहयोग एवं जानकारी हेतु विभाग में क्या व्यवस्था की गई है?

सहभागी सिंचाई प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त जानकारी उपलब्ध रहने तथा जल उपभोक्ता समितियों को मार्गदर्शन करने एवं उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता के अधीन एक पिम प्रकोष्ठ के गठन की व्यवस्था है। यह पिम प्रकोष्ठ जल उपभोक्ता समितियों के लिए सिंचाई विभाग के सिंगल विण्डो की तरह कार्य करेगा। इस पिम प्रकोष्ठ में सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं राजस्व कर्मी होंगे।

29. समिति की बैठकों की क्या व्यवस्था है?

प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति को निम्नलिखित तीन प्रकार की बैठक करना अनिवार्य है–

1. **प्रबन्धन समिति की मासिक बैठक–**प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति प्रत्येक माह के निर्धारित दिवस एवं निर्धारित स्थल पर प्रबन्धन समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें समिति द्वारा गत माह किए गए कार्यों की समीक्षा तथा अगले माह में कराए जाने वाले कार्यों पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
2. **सामान्य सभा की बैठक–**प्रत्येक फसल सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति द्वारा सामान्य सभा की बैठक की जाएगी, जिसमें गत फसल सीजन में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली फसल सीजन में किए जाने वाले कार्यों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समिति का वार्षिक बजट पास कराने हेतु सामान्य सभा की बैठक की जाएगा। समिति द्वारा कराए गए कार्यों के अन्तिम भुगतान (कार्य की लागत का न्यूनतम 30 प्रतिशत) करने हेतु सामान्य सभा से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सामान्य सभा की बैठक की जाएगी।
3. **सक्षम नहर अधिकारी के साथ मासिक बैठक–**प्रत्येक सक्षम नहर अधिकारी अपनी अधिकारिता की जल उपभोक्ता समितियों के अध्यक्षों के साथ मासिक बैठक की जाएगी, जिसमें जल उपभोक्ता समितियों की समस्याओं का समाधान तथा कार्यों से सम्बन्धित विचार–विमर्श किया जाएगा।

30. समिति के पदाधिकारियों के क्या कर्तव्य होंगे?

समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य निम्नवत् होंगे–

अध्यक्ष के कर्तव्य–प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, किसी फोरम या अधिकारियों की बैठक में भाग लेना, वॉक–थ्रू कराना, भुगतान हेतु बिल/वाउचर पारित करना तथा भूमिहीन व्यक्तियों को मानदेय पर सिंचाई प्रबन्धन का कार्य कराना आदि।

सचिव के कर्तव्य–प्रबन्धन समिति एवं सामान्य सभा की बैठकें आयोजित कराना तथा समिति से सम्बन्धित समस्त आदेशों/निर्णयों/सूचनाओं आदि को प्रमाणित करना एवं पत्राचार करना आदि।

कोषाध्यक्ष के कर्तव्य–वित्तीय पंजिकाओं को भरना, रसीदों आदि को सुरक्षित रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, ऑडिट करवाना तथा अध्यक्ष के आदेश पर भुगतान करना आदि।

31. यदि समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारी ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो क्या कार्यवाही की जा सकती है?

यदि समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनका वापस बुलाया जा सकता है। इसके अन्तर्गत सदस्य को निर्वाचित करने वाले मतदाताओं के एक तिहाई सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रार को वापस बुलाने का नोटिस दिया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा प्रश्नगत सदस्य को निर्वाचित करने वाले मतदाताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में वापस बुलाने के प्रस्ताव को बहुमत द्वारा पारित हो जाने पर सदस्य/पदाधिकारी को वापस बुला लिया जाएगा।

32. नहर पर कराए जाने वाले कार्यों का निर्धारण कैसे होगा?

जल उपभोक्ता समिति द्वारा नहर पर वॉक–थ्रू किया जाएगा जिसमें कार्यों को चिन्हांकित कर विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। समिति के पास बजट की उपलब्धता के आधार पर कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी, इसके आधार पर प्रबन्धन समिति द्वारा कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इसी के आधार पर कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

33. वॉक–थ्रू कब से प्रारम्भ किया जाएगा?

वॉक–थ्रू सम्बन्धित खण्ड की खण्डीय प्रकोष्ठ द्वारा वॉक–थ्रू कार्यक्रम जारी करने के पश्चात् प्रारम्भ किया जाएगा। वॉक–थ्रू कार्यक्रम यथास्थिति 01 सितम्बर अथवा 05 मार्च तक जारी किया जाएगा।

34. कार्य का प्राक्कलन कौन बनाएगा?

कार्य का प्राक्कलन अल्पिका/रजबहा समिति द्वारा अथवा रजबहा समिति द्वारा नियुक्त अभियन्ता द्वारा किया जाएगा। उक्त के आभाव में यह कार्य सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अवर अभियन्ता से करवाया जाएगा।

35. प्राक्कलन का अनुमोदन कौन करेगा?

प्राक्कलन का प्रशासनिक अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा तथा तकनीकी अनुमोदन अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिनियम में निर्धारित वित्तीय सीमा के अनुसार किया जाएगा। मात्र गूलों एवं इससे सम्बन्धित संरचनाओं के

कार्यों के रू0 25000/– तक के प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन अवर अभियन्ता द्वारा, समस्त सिविल कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के रू0 10 लाख तक के कार्यों का तकनीकी अनुमोदन सहायक अभियन्ता द्वारा तथा समस्त सिविल कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के रू0 10 लाख से अधिक के कार्यों का तकनीकी अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

36. कार्य कराने के क्या–कया माध्यम होंगे?

कार्य कराने के माध्यम ऐच्छिक श्रम, मस्टर रोल, कार्यादेश तथा अनुबन्ध द्वारा होंगे।

37. मस्टर रोल एवं कार्यादेश कहाँ प्राप्त होंगे तथा इनका लेखा–जोखा कौन रखेगा?

मस्टर रोल एवं कार्यादेश सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा इनका लेखा–जोखा खण्डीय पिम प्रकोष्ठ में रखा जाएगा।

38. कार्यादेश की सीमा क्या होगी?

कार्यादेश की सीमा अल्पिका समिति के लिए अधिकतम रू0 25000/– एवं रजबहा समिति के लिए अधिकतम रू0 50000/– होगी।

39. अनुबन्ध का गठन समिति कैसे कर पाएगी?

अनुबन्ध के गठन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं प्रपत्र आदि पिम मैनुअल में निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अनुबन्ध के गठन में समिति को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा।

40. कार्य के मापन एवं सत्यापन की क्या व्यवस्था है?

कार्यों की मात्रा का मापन व अभिलेखन निर्माण कार्य उपसमिति/नियुक्त अभियन्ता द्वारा किया जाएगा, इसका सत्यापन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित सक्षम नहर अधिकारियों के अधीन कार्यरत अधिकारियों द्वारा भी सत्यापन किए जाने का प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है।

41. बिल कौन तैयार करेगा?

बीजक वित्तीय प्रबन्धन उपसमिति/नियुक्त लेखाकार अथवा ठेकेदार द्वारा तैयार किया जा सकता है। जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन की उपसमिति बीजक तैयार न कर पाने की स्थिति में सक्षम नहर अधिकारी के कार्यालय द्वारा बीजक तैयार किया जाएगा।

42. भुगतान में प्रबन्धन समिति, सक्षम नहर अधिकारी एवं सामान्य सभा की क्या भूमिका/नियन्त्रण है?

सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्यों का निर्धारित प्रतिशत सत्यापन के उपरान्त जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा कार्य की लागत का अधिकतम 70 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है। कार्य अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा द्वारा संतोषजनक कार्य होने का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् प्रबन्धन समिति द्वारा किया जा सकता है। इस निमित्त आहूत सामान्य सभा की बैठक

में सक्षम नहर अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, जो कार्यों के सम्बन्ध में सामान्य सभा को अपनी रिपोर्ट से अवगत कराएंगे।

43. कार्य का अनुश्रवण कैसे होगा?

कार्यो का अनुश्रवण अल्पिका/रजबहा समिति के अध्यक्ष एवं सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समय–समय पर क्षेत्रीय भ्रमण कर किया जाएगा।

44. आकस्मिक कार्य का प्राक्कलन कब तैयार किया जाएगा?

आकस्मिक कार्य (खांदी/टूट–फूॅट की मरम्मत्/अवरोध हटाने का कार्य) का विवरण आकस्मिक कार्य पंजिका में सम्बन्धित जल उपभोक्ता तथा सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिसके आधार पर प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन तैयार कर इसका प्रशासनिक अनुमोदन प्रबन्धन समिति द्वारा एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम नहर अधिकारी द्वारा भुगतान से पूर्व किया जाएगा।

45. विभाग द्वारा समिति की तरफ से कार्य कैसे कराया जाएगा?

जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन द्वारा कार्य कराने में अक्षमता का प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरान्त सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कार्य कराया जा जाएगा। इसके अन्तर्गत सक्षम नहर अधिकारी एवं जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों की एक सत्यापन समिति होगी। सत्यापन समिति द्वारा चालू भुगतान (अधिकतम 70 प्रतिशत) से पूर्व कार्यों का सत्यापन किया जाएगा। कार्य का अवशेष 30 प्रतिशत भुगतान समिति की सामान्य सभा द्वारा संतोषजनक कार्य होने का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् किया जाएगा। कार्य का अनुश्रवण समित एवं सक्षम नहर अधिकारी दोनो द्वारा किया जाएगा।

46. नहरों में पानी की उपलब्धता एवं जल के वितरण में समिति की क्या भूमिका होगी?

नहरों में पानी की उपलब्धता सिंचाई विभाग द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार होती है। रोस्टर तैयार करने में रजबहा समिति के सभी अध्यक्षों के साथ अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में एक बैठक की जाएगी, जिसमें पानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर रोस्टर तैयार कर किया जाएगा। इस प्रकार से तैयार रोस्टर की प्रति सभी जल उपभोक्ता समितियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जल उपभोक्ता समितियाँ नहरों में पानी की उपलब्धता एवं पानी की आवश्यकता के आधार पर कुलाबों का रोस्टर स्वयं बना सकती है तथा खेतों में पानी की उपलब्धता हेतु वारबंदी भी बना सकती है।

47. सिंचाई का लेखा–जोखा कौन करेगा?

सिंचाई का लेखा–जोखा अल्पिका समिति एवं सिंचाई विभाग दोनो द्वारा रखा जाएगा। अल्पिका समिति कुलाबा समिति की सहायता से सींच अंकन का कार्य करेगी। इसके साथ विभाग के सींचपाल द्वारा भी सींच लिखी जाएगी। दोनों पक्षों द्वारा लिखित सींच का मिलान प्रबन्धन समिति की मासिक बैठक में किया जाएगा। दोनों पक्षों में इस निमित्त विवाद होने की स्थिति में इसका समाधान सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा

किया जाएगा। दोनों पक्षों द्वारा लिखित सींच का प्रकाशन भी किया जाएगा, जिस पर सामान्य कृषक की आपत्ति प्राप्त कर सींच का अन्तिमीकरण किया जाएगा।

48. जमाबन्दी कौन बनाएगा?

सम्बन्धित अल्पिका समिति एवं सींचपाल द्वारा अंकित सींच पर एक–दूसरे की सहमति के पश्चात् अंकित सींच के आधार पर जमाबन्दी पूर्व की ही भाँति सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जाएगी।

49. अनाधिकृत रूप से पानी लेने पर दण्ड की क्या व्यवस्था है?

प्रथम बार अनाधिकृत जल उपयोग पर जमाबन्दी में उल्लिखित जल शुल्क का कम से कम 10 गुना अर्थदण्ड लगाया जायेगा तथा उसी प्रवृत्ति का एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर यह दण्ड 20 गुना हो जाएगा।

50. अनाधिकृत रूप से पानी लेने वाले व्यक्ति की पहचान न हो तो दण्ड कैसे आरोपित होगा?

यदि जल उपभोक्ता समिति द्वारा जाँच के उपरान्त अनधिकृत जल उपयोगकर्ता को चिन्हांकित नहीं किया जा सकता है तो जल उपभोक्ता समिति ऐसे समस्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर दण्ड आरोपित करेगी, जिनके खेतों को लाभ हुआ हो और उनके द्वारा उनके खेत में अनावश्यक पानी आने की ससमय सूचना सक्षम नहर अधिकारी/समिति को न दी गई हो।

51. जल बर्बाद करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान न हो तो दण्ड कैसे आरोपित होगा?

यदि जल उपभोक्ता समिति द्वारा जाँच के उपरान्त जल बर्बाद करने वाले व्यक्ति को चिन्हांकित नहीं किया जा सकता है तो जल उपभोक्ता समिति ऐसे समस्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर दण्ड आरोपित करेगी, जिनके खेतों को लाभ हुआ हो और उनके द्वारा जल बर्बाद होने की ससमय सूचना सक्षम नहर अधिकारी/समिति को न दी गई हो।

52. नहर अपराधों के नियन्त्रण में समिति की क्या भूमिका है?

नहर अपराधों के नियन्त्रण में समिति द्वारा सामाजिक दबाव का उपयोग किया जाना चाहिए। विधिक रूप से अपराध नियन्त्रण हेतु दो व्यवस्थाओं अर्थात् अपराध की जाँच तथा जाँच के आधार पर मुकदमा चलाकर दण्ड देने में से प्रथम व्यवस्था अर्थात् अपराधों की जाँच करने का अधिकार जल उपभोक्ता समिति को दिया गया है। इस व्यवस्था में जिस समिति के कार्यक्षेत्र में अपराध घटित होगा, उसके ऊपर वाली समिति द्वारा अपराध की जाँच की जाएगी। यदि ऊपर वाली समिति उपलब्ध नहीं है तो जाँच सिंचाई विभाग द्वारा की जाएगी। जाँच के आधार पर मुकदमा जिलेदार द्वारा दायर किया जाएगा तथा दण्ड डी0आर0ओ0 द्वारा दिया जाएगा।

53. यदि समिति ही अपराध में लिप्त है तो क्या होगा?

यदि समिति अथवा इसका कोई सदस्य/पदाधिकारी नहर अपराध में लिप्त है तो उसके विरूद्ध भी वैसी ही कार्यवाही की जाएगी, जैसी किसी सामान्य कृषक के विरूद्ध नहर अपराध के लिए की जाती है।

54. यदि समिति जाँच नहीं करती है तो विभाग क्या करेगा?

यदि समिति जाँच नहीं करती है तो समिति द्वारा इसे अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। अधिनियम का उल्लंघन भी नहर अपराध की श्रेणी में आता है। अतः नहर अपराध की जाँच न करने पर समिति के विरूद्ध नहर अपराध किए जाने हेतु जाँच कर दण्ड की कार्यवाही की जाएगी।

55. यदि किसी समिति का अध्यक्ष जाँच में जाँच संस्था का सहयोग न करे तो क्या कार्यवाही होगी?

जिस समिति के कार्यक्षेत्र में नहर अपराध घटित हुआ हो, उस समिति के अध्यक्ष द्वारा जाँच संस्था को सहयोग दिया जाना अनिवार्य होगा, बशर्ते जाँच संस्था द्वारा अध्यक्ष का सहयोग अपेक्षित न हो। अध्यक्ष द्वारा असहयोग की दशा में उसको नहर अपराध का सहअपराधी माना जाएगा एवं उसी अनुसार अध्यक्ष के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

56. मुकदमा कौन दायर करेगा?

जाँच संस्था की जाँच आख्या के आधार पर सिंचाई विभाग के सम्बन्धित जिलेदार द्वारा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट (नहर) की अदालत में दायर किया जाएगा एवं पैरवी के लिए सींचपर्यवेक्षक को नामित करेगा।

57. नहर अपराध हेतु दण्ड की क्या व्यवस्था है?

नहर अपराध हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 6 माह का कारावास, अथवा क्षतिपूर्ति की सीमा तक जो न्यूनतम रू0 1000/– होगी, अथवा उक्त दोनों। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक प्रवृत्ति के अपराध की पुनरावृत्ति की जाये तो कम से कम रू0 1000/– का अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा।

58. दण्ड मॉफी की क्या व्यवस्था है?

जल उपभोक्ता समिति द्वारा नहर अपराधों मॉफी निम्नानुसार की जा सकती है –

(1) नहर अपराध की जाँच के उपरान्त जाँच संस्था दोषी व्यक्ति की प्रार्थना पर निर्धारित प्रशमन शुल्क प्राप्त कर माफ कर सकती है।

(2) अपराध हेतु अदालत द्वारा मुकदमे की कार्यवाही से पूर्व किसी भी स्तर पर प्रशमन शुल्क आरोपित कर दोषी को जाँच संस्था द्वारा बरी किया जा सकता है।

(3) मुकदमा दायर होने तथा अदालत द्वारा निर्णय दिये जाने से पूर्व जाँच संस्था किसी भी समय प्रशमन शुल्क प्राप्त कर मुकदमा वापस ले सकता है।

59. समिति को कहाँ–कहाँ से धन प्राप्त होगा?

जल उपभोक्ता समियिों को निम्नलिखित स्रोतों से धनराशि प्राप्त होगी–

जल शुल्क अंश, एकमुश्त क्रियाशील अनुदान, मनरेगा योजना की धनराशि, सेवाओं से प्राप्त शुल्क, कृषकों से प्राप्त सेवा शुल्क, भू–धारकों से प्राप्त सहयोग धनराशि, दान, परिसम्पत्तियों से प्राप्त आय, दण्ड तथा प्रशमन शुल्क, जमा राशियों पर ब्याज, राज्य तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान, टोल टेक्स तथा अन्य विभागों/अभिकरणों तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त धन।

60. समिति को प्राप्त धन कहाँ रखा जाएगा?

समितियों को प्राप्त धन बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में तीन प्रकार के खाते – शासकीय खाता, समिति खाता तथा संरक्षित निधि खाता खोलकर रखा जायेगा। शासकीय खाते में राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि रखी जाएगी। समिति खाते में समिति द्वारा संसाधनों से प्राप्त धनराशि रखी जाएगी तथा संरक्षित निधि खाते में एकमुश्त क्रियाशील अनुदान की धनराशि, वार्षिक बजट की 10 प्रतिशत धनराशि तथा सदस्यता शुल्क की धनराशि रखी जाएगी। संरक्षित निधि में जमा धनराशि को खर्च नहीं किया जा सकता, इससे प्राप्त वार्षिक ब्याज का उपभोग किया जा सकता है।

61. क्या एक खाते का धन दूसरे खाते में हस्तानान्तरित हो सकता है?

हाँ, सक्षम नहर अधिकारी एवं सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष की सहमति के उपरान्त शासकीय खाते की धनराशि समिति खाते में हस्तानान्तरित की जा सकती है।

62. संरक्षित निधि का क्या उद्देश्य है?

संरक्षित निधि में एकमुश्त क्रियाशील अनुदान की धनराशि के साथ प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट की 10 प्रतिशत धनराशि ही जमा किए जाने से कुछ वर्षों में इस निधि में इतनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी कि इसके वार्षिक ब्याज से समिति के समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे, परिणामस्वरूप समिति स्वतंत्र एवं प्रभावी रूप से कार्य कर पाएगी तथा साथ ही साथ राज्य सरकार के व्यय में भी कमी आएगी।

63. जल शुल्क का कितना अंश समिति को प्राप्त होगा?

क्र0	पैतृक नहर का नाम, जिससे अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका सम्बद्ध हैं।	अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका कमाण्ड से वसूल किये गए जल शुल्क की धनराशि/जमाबन्दी की धनराशि		अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति को प्राप्त होने वाले जल शुल्क/जमाबन्दी की धनराशि का अंश			
		कमाण्ड का नाम	वसूल किया गया जल शुल्क/जमा बन्दी की धनराशि	अल्पिका समिति	फेडरेटेड अल्पिका समिति	रजबहा समिति	शाखा समिति
1.	रजबहा	अल्पिका	A	A का 40 प्रतिशत	शून्य	A का 20 प्रतिशत	शून्य

		फेडरेटेड अल्पिका	B	शून्य	B का 20 प्रतिशत	B का 40 प्रतिशत	शून्य
2.	शाखा	अल्पिका	C	C का 40 प्रतिशत	शून्य	शून्य	C का 20 प्रतिशत
		फेडरेटेड अल्पिका	D	शून्य	D का 20 प्रतिशत	शून्य	D का 20 प्रतिशत
3.	परियोजना (मुख्य नहर)	अल्पिका	E	E का 40 प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य

64. समिति को प्राप्त धनराशि किन–किन कार्यों/मदों में व्यय की जा सकेगी?

जल उपभोक्ता समितियों द्वारा अपने समस्त स्रोतों से प्राप्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जाएगा, जिन कार्यों/मदों की व्यवस्था समिति के वार्षिक बजट में होगी।

65. समिति द्वारा बजट तैयार करने की क्या व्यवस्था है?

प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि को सिंचाई प्रबन्धन के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए व्यय करने हेतु विभिन्न मदों को निर्धारित करते हुए प्रत्येक मद में व्यय की जाने वाली धनराशि भी निर्धारित की जाएगी। इस बजट पर समिति की सामान्य सभा के दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। बजट तैयार करने एवं सामान्य सभा से पारित कराने में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की जाएगी। बजट पारित करने हेतु सामान्य सभा की बैठक में सक्षम नहर अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि का रहना अनिवार्य है।

66. यदि कोई कार्य समिति के बजट में नहीं है तो उसे कैसे कराया जाएगा?

यदि कोई कार्य समिति के बजट में नहीं है तो समिति द्वारा उस कार्य को सामान्य सभा से अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्य कराया जा सकता है, परन्तु कार्य कराने के उपरान्त इसका अनुमोदन सामान्य सभा के दो तिहाई बहुमत से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

67. गत वर्ष में उपभोग की गई धनराशि का ब्यौरा किसानों को कैसे प्राप्त होगा?

समिति का वार्षिक बजट पारित कराने हेतु जिस समय सामान्य सभा में रखा जाएगा, उससे पूर्व पिछले वर्ष में बजट में प्राविधानित कार्यों के सम्बन्ध में कार्यपूर्ति आख्या भी प्रस्तुत की जाएगी। जिससे गत वर्ष में कराए गए कार्यों एवं आगामी वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा कृषकों को प्राप्त हो जाएगा।

68. समिति के लेखों के ऑडिट की क्या व्यवस्था है?

प्रत्येक समिति के लेखों के ऑडिट की निम्नलिखित तीन व्यवस्था हैं–

आन्तरिक ऑडिट–

1. खण्ड के लेखाकारों द्वारा ऑडिट किया जाना;
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिकृत ऑडिट संस्था द्वारा ऑडिट किया जाना;

वाह्य ऑडिट–

3. स्थानीय लेखा निधि विभाग द्वारा ऑडिट किया जाना।

69. समिति के सदस्य आम किसान हैं तो वे अपने वित्तीय अभिलेखों को कैसे पूर्ण कर पाएंगे?

उ0प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के अंतर्गत रजबहा समिति को लेखाकार की नियुक्ति करने का अधिकार है। जो अपने तथा अल्पिका समितियों के वित्तीय अभिलेखों को पूर्ण करने का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग भी लेखों को पूर्ण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा।

70. समिति के पदाधिकारियों हेतु किसी मानदेय की व्यवस्था है कि नहीं?

उ0प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के अंतर्गत समिति के वार्षिक बजट की 05 प्रतिशत धनराशि से समिति के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) को मानदेय दिए जाने की व्यवस्था है। प्रत्येक पदाधिकारी के मानदेय की धनराशि का निर्धारण समिति की सामान्य सभा के बहुमत से किया जाएगा।

71. समिति द्वारा स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय तथा दैनिक कार्मिकों के मानदेय हेतु धन की व्यवस्था कहाँ से होगी तथा इसका नियन्त्रण कैसे होगा ?

पिम मैनुअल के प्रस्तर–73 में निम्नलिखित मदों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है–

क्र0सं0	मद	अधिकतम सीमा
1.	कार्यालय व्यय	5 प्रतिशत
2.	कार्यालय साज–सज्जा व्यय	5 प्रतिशत
3.	दैनिक कार्मिकों के मानदेय	5 प्रतिशत
4.	यात्रा व्यय	2 प्रतिशत

बजट में उक्त प्राविधानित धनराशित समिति में ''समिति कोष' में हस्तानान्तरित कर दी जाएगी। प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति से उक्त मदों में व्यय किए जाने का लेखा–जोखा सक्षम नहर अधिकारी को प्रत्येक माह देना अनिवार्य होगा।

72. यदि शासकीय धन से समिति का कार्य पूर्ण न हो पाए तो समिति को क्या करना होगा?

यदि शासकीय धन से समिति का कार्य पूर्ण न हो पाने की सम्भावना हो तो समिति द्वारा सामान्य सभा से अनुमोदन के पश्चात् कृषकों से सेवा शुल्क प्राप्त कर सकती है। सेवा शुल्क की दर समिति की सामान्य सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी।

73. यदि समिति को किसी वित्तीय वर्ष में उसके वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में व्यय नही हो पाती है तो अवशेष धनराशि का क्या होगा?

यदि समिति के वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाता है तो अवशेष धनराशि अगले वित्तीय वर्ष के अधिकतम 06 माह तक व्यय की जा सकती है। परन्तु यदि अगले वित्तीय वर्ष तक की धनराशि व्यय नहीं हो पाती है तो बची हुई धनराशि को समिति की संरक्षित निधि में हस्तानान्तरित करना होगा।